फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

श्रवणकुमार वगैरह बनाम सरपंच ग्रा0पं0 मानकसर व अन्य

किस्म मुकदमाः–75 भूराजस्व अधिनियम। प्रकरण संख्याः– 151/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलांट श्री लेखराज देरासरी ने बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पति/पिता के रामजस पुत्र पोकर जाति बिश्नोई के नाम चक 36 पी0बी0एन0 के खाता संख्या 56/49 प0न0 62/373(5) की 0.974 है0 तथा प0न0 52/374(14) की 5.161 है0 कुल 6.135 है0 खातेदारी नाली प्रथम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उनका स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट एवं रेस्पोडेट 2 ता 5 रामजस के वारिसान है। अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के समय अपीलांटस कम उम्र के थे एवं अशिक्षित थे इसलिये परिवार के लोगों ने उनके बोलते नामों से ही विरास्तन इंतकाल संख्या 115 दिनांक 03.07.1995 में अंकन करवा लिया। अपील काफी समय बाद प्रस्तुत हुई है जिसके लिये अलग से मियाद का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया हुआ। अतः मियाद प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है देरी को कन्डोन करने का निवेदन किया है। अतः सर्वप्रथम मियाद प्रा0पत्र स्वीकार कर देरी को कन्डोन किया जाता है। उन्होने बताया कि इंतकाल संख्या 115 में अपीलांटस् के नाम श्रवण के स्थान पर पवन कुमार, रामेश्वर के स्थान पर महावीर, ममता के स्थान पर ईमानतीव सुमना देवी के स्थान पर दामा अंकित किये गये है, जो कि घरेलू व बोलते नाम थे। जो कि बिना किसी रिकार्ड से मिलान किये दर्ज होने के कारण संशोधन योग्य है। राजस्व रिकार्ड में सही नाम नही होने से अपीलांटस् को कृषि सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अतः इ.सं. 115 दिनांक 03.07.1995 में संशोधन कर सही नाम अंकित कर अपील स्वीकार की जावे। योग्य अधिवक्ता रेस्पो0–2 ता 5 ने तर्क किया कि अपीलांट एवं हमारे हित समान है। हम भी नाम दुरस्त करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो मुझे एतराज नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 चक 36 पी0बी0एन0 के खाता संख्या 56/49 प0न0 62/373(5) की 0.974 है0 तथा प0न0 52/374(14) की 5.161 है0 कुल 6.135 है0 खातेदारी नाली प्रथम भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेट 2 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा ग्रा0प0 पदमपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 23 दिनांक 25.05.2018 में रामजस पुत्र पोकरराम के वारिसान के नाम अलग है एवं आधार कार्ड व स्टाम्प पर शपथ पत्र भी संलग्न मिसल है। इससे प्रतीत होता है कि इंतकाल संख्या 115 दिनांक 03.07.1995 में अपीलांटस् का नाम ग्राम में बोलते नाम अनुसार दर्ज किये गये है। ग्रा0प0 मानकसर से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.07.1995 में इंतकाल का प्रस्ताव नही लिया गया है। इसलिये प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जानी उचित है। अतःउपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत उदयपुर गोदारान द्वारा दिनांक 03.07.1995 को स्वीकृत इ.सं. 115 निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत मानकसर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार जांच कर नया इंतकाल दर्ज करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 12:26:36 IST
Reason: SelfAttested